कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-10

Office of the CGDA, Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.-10

सं. AN/III/3011/अवकाश/2017 दिनांक 4.8.2016

सेवा में,

समस्त र.ले.प्र.नि./प्र.ले.नि.(फै.)प्र.ए.वि.स.
र.ले.नि./वि.एवं ले.नि.(फै.)/मु.आं.ले.प.(आ.नि)/ए.वि.स./क्षे.प्र.के

विषय: वर्ष 2017 के दौरान भारत सरकार के कार्यालयों में रखी जाने वाली छुट्टियाँ ।

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) फा. सं. 12/8/2016-जेसीए-2 दिनांक 28 जून, 2016 की उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञापन की प्रति सूचना एवं आवशयक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।

2. पैरा 2, 3.1 और 3.2 मे उल्लिखित दिशा-निर्देशो का दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर स्थित केंन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों मे छुट्टियाँ तय करते समय सख्ती से पालन करें । दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केंन्द्रीय सरकार के सभी प्रशासनिक कार्यालयों मे वर्ष 2017 के दौरान अनुबंध-I एवं वैकल्पिक छुट्टियाँ अनुबंध-II में दर्शाई गई सूची के अनुसार रहेगी ।

3. छुट्टियों का कार्यालय आदेश भाग- II अधिसूचित करते समय एक प्रति मुख्यालय कार्यालय को प्रेषित करें ।

प्रवीन बोहरा

(पी के बोहरा)
कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

प्रतिलिपि:-

1. प्रशासन-IV (स्थानीय) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
2. ई.डी.पी. (स्थानीय) रक्षा लेखा महानियंत्रक कि वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।

(पी के बोहरा)
व. लेखा अधिकारी (प्रशा)

फा सं 12/8/2016-जे सी ए-2

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली

दिनांक 28 जून, 2016

विषय : वर्ष 2017 के दौरान भारत सरकार के कार्यालयों में रखी जाने वाली छुट्टियाँ

यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी प्रशासनिक कार्यालयों में वर्ष 2017 के दौरान इस कार्यालय ज्ञापन के **अनुबंध-I** में विनिर्दिष्ट छुट्टियाँ रहेंगी1 इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कर्मचारी को **अनुबंध-II** में दर्शाई जा रही वैकल्पिक छुटियों के सूची में से अपनी इच्छानुसार कोई दो छुटियाँ लेने की भी अनुमति होगी 1

2. दिल्ली/ नई दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में नीचे पैरा 3.1 में दर्शाई जा रही छुट्टियों में से तीन छुट्टियों के अतिरिक्त निम्नलिखित छुटियाँ अनिवार्यत: रहेंगी:

1. **गणतन्त्र दिवस**
2. **स्वतंत्रता दिवस**
3. **महात्मा गाँधी जन्म दिवस**
4. **बुध पूर्णिमा**
5. **क्रिसमस दिवस**
6. **दशहरा (विजय दशमी)**
7. **दिवाली (दीपावली)**
8. **गुड फ्राइडे**
9. **गुरुनानक जनम दिवस**
10. **ईद उल फितर**
11. **ईद उल जुहा**
12. **महावीर जयंती**
13. **मुहर्रम**
14. **पैगम्बर मोहम्मद का जन्म दिवस (ईद-ए-मिलाद)**

3.1 पैरा 2 में उल्लिखित उपर्युक्त 14 अनिवार्य छुटियों के अतिरिक्त, राज्य की राजधानियों में स्थित केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों द्‌वारा, यदि आवश्यक हो तो, राज्य के अन्य स्थानों की समन्वय समितियों के परामर्श से, नीचे दी जा रही सूची में से, तीन छुट्टियां तय की जाएंगी1 संबंधित राज्य में स्थित, केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यलयों के लिए समान रूप से लागू होने वाली छुट्टियों के अंतिम सूची, तदनुसार अधिसूचित की जाएगी और उसके पश्चात उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा1